to keep the position under constant review so that further adjustments could be made if necessary.

The foreign exchange content is expected to be Rs. 180 crores (about 11.8%).

The addition to allotment of Rs. 1,525 crores as above, the Planning Commission have placed at the disposal of the Railways another Rs. 50 crores for Metropolitan Transport Schemes.

(d) *Steps taken to meet foreign exchange requirements* :—

For meeting the major part of the foreign exchange expenditure during the first two years (*viz.* 1969-70 and 1970-71) a credit of US $55 million (Rs. 41.25 crores) has been secured from the International Development Association, an affiliate of the World Bank : about Rs. 22 crores is expected to be met from the bilateral credits already arranged and being arranged. For meeting the foreign exchange expenditure during the remaining three years, steps will be taken at the appropriate stage.

## बिड़ला उद्योगों के विस्तार के लिये अनुमति

*508. **श्री देवेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला उद्योगों, अर्थात हैदराबाद एस्बैसटस सीमेंट प्रोडक्टस तथा ओरियेन्ट पेपर मिल्स, रेयन ग्रेड पल्प (मैसर्स केशो राम इंडस्ट्रीज) सेंचुरी कैमिकल्स तथा हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कम्पनी को लाइसेंस तथा कार्य के विस्तार की अनुमति किन तारीखों को दी गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष वार इन उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ग) उक्त प्रत्येक उद्योग में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) प्रश्न में उल्लिखित बिड़ला समूह की कम्पनियों को क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जारी किये गये अनुज्ञापनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1. **हैदराबाद एस्बैसटस सीमेंट प्राडक्टस** :

इन्हें अपने सनत नगर (हैदराबाद) एकक में एस्बैसटस चादरों/ढली वस्तुओं, पाइपों और फिटिंग्स निर्माण के कार्य को चालू रखने के लिए 25-11-1958 को अनुज्ञापन जारी किया गया था । तत्पश्चात क्षमता में पर्याप्त विस्तार के लिये ही अनुज्ञापन जारी किये गये थे, एक 12 अक्तूबर, 1959 को और दूसरा 12 फरवरी, 1964 को जारी किया गया था ।

इन्हें ऐस्बैसटस की चादरें तथा प्रेशर पाइप बनाने के लिए हरियाणा (बल्लगढ़) में एक नये औद्योगिक एकक की स्थापना के लिये 2-5-1964 को एक अनुज्ञापन जारी किया गया था । इस एकक की क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिये दो अनुज्ञापन 14-9-65 और 9-12-1965 को जारी किये गये थे ।

2. **मैसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स** :

कागज तथा गत्ते के निर्माण के लिये साहाबाद (मध्य प्रदेश) में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जाने के लिये 12-6-1956 में एक अनुज्ञापन जारी किया गया था और तत्पश्चात् इसे कागज तथा गत्ते की निर्माण क्षमता में पर्याप्त विस्तार के लिए एक और अनुज्ञापन 15 जुलाई, 1960 को जारी किया गया था ।

इस एकक को नयी वस्तुओं के रूप में कास्टिक सोडा तथा क्लोरिन के निर्माण के लिए एक अनुज्ञापन 16 नवम्बर, 1956 में जारी किया गया था और क्षमता के विस्तार के लिये अनुज्ञापन 2 फरवरी, 1961 को जारी किया गया था ।

उन्हें बजराज नगर (उड़ीसा) एकक की क्षमता के विस्तार के लिये एक अनुज्ञापन 24 फरवरी, 1964 को जारी किया गया था । कास्टिक सोडा तथा क्लोरिन की क्षमता में

विस्तार के लिये 19 जून, 1954 में एक अनुज्ञापन और दूसरा अनुज्ञापन प्लास्टिक/विरोजा चढ़े कागज तथा गत्ते की क्षमता के विस्तार के लिये 1 जुलाई, 1954 को जारी किया गया था।

3. **मैसर्स केशो राम इण्डस्ट्रीज (रेयन कोटि की लुगदी) :**

रेयन कोटि की लुगदी के लिये इस एकक को कोई अनुज्ञापन जारी नही किया गया।

4. **मैसर्स सेंचुरी कैमिकल्स :**

इस कम्पनी को कोई अनुज्ञापन जारी नहीं किया गया। अलबत्ता इन्हें दो आशय पत्र जारी किये गये थे, एक 22 फरवरी, 1967 को और दूसरा 25 मार्च, 1967 को, किन्तु इन दोनों को रद्द किया जा चुका है।

5. **मैसर्स हिन्दुस्तान एलोमीनियम कम्पनी :**

एलोमीनियम इन्गाट्स के निर्माण के लिये एक नये एकक की रेनुकोट (उत्तर प्रदेश) में स्थापना हेतु एक अनुज्ञापन 26 सितम्बर, 1959 को जारी किया गया था और एलोमीनियम कन्डक्टर रिड्रा राड्स और रोल्ड उत्पादों को नई वस्तुओं के रूप में उत्पादन करने के लिये एक लाइसेंस 19 जुलाई, 1960 को जारी किया गया था। तत्पश्चात इस एकक की क्षमता के विस्तार के लिये तीन अनुज्ञापन 1 जनवरी, 1963, 26 दिसम्बर, 1963 और 6 दिसम्बर 1966 को जारी किये गये थे।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रखा जायेगा।

## भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अधिक शक्ति वाली मोटरों का निर्माण

*509. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में अधिक शक्तिशाली मोटरों का निर्माण करने का निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लान्ट, हरद्वार जो भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० का एक एकक है, ये निम्नलिखित परासों की मझोले तथा बड़े आकार की बिजली की मशीनों के उत्पादन की योजना बनाई है:

**मझोले आकार की विद्युत मशीनें :**

| | | |
|---|---|---|
| ए० सी० मोटरें | 100 किलोवाट से 00 किलोवाट तक | पूर्ण क्षमता 5.15 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष |
| डी० सी० मोटरें | 20 किलोवाट से 225 किलोवाट तक | |

**बड़े आकार की विद्युत् मशीनें**

| | | |
|---|---|---|
| ए०सी० मोटरें | 70 किलोवाट से 1,00,000 किलोवाट | पूर्ण क्षमता 5.15 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष |
| डी०सी० मोटरें | 215 किलोवाट से 80,000 किलोवाट | |

### Prohibition in Union Territories

*510. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether any measures have been taken by Government to extend the scope and area of prohibition in the Union Territories on the occasion of the Gandhi Centenary celebration ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE [DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA]: (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table House in due course.

### Requirement of Rails

3201. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state :

(a) whether any study has been made by